Request-127

आदेश

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-2 के पैराग्राफ 246 सपठित राजाज्ञा संख्या बी-3-2549 (2)/दस-2000-20(15)/2000 सं०आ० दिनांक 6.7.2000 अंतर्गत श्री राम करन, अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), सीतापुर को रु0 13,000/- ‡रुपया तेरह हजार मात्र‡ का अग्रिम स्कूटर खरीदने के लिए स्वीकार किया जाता है परन्तु अनुबन्ध यह है कि:-

‡1‡अग्रिम स्वीकृति की तिथि से माह के अन्दर प्राप्त कर लिया जाये, प्राप्त कर लेने के एक माह के अन्दर स्कूटर अवश्य खरीद ली जाय अन्यथा उपरोक्त आदेश रद्द कर दिया जायेगा ।

‡2‡अग्रिम का रुपया प्राप्त करने के लिए अपना बिल प्रस्तुत करते समय अनुबन्ध पत्र ‡फार्म नं0-25-ए‡पर कर सीधे इस न्यायालय को भेजा जाय । तदुपरान्त स्कूटर क्रय कर ली जाय और अनुबन्ध पत्र की तिथि से एक माह के अन्दर फार्म 25 में बन्धक पत्र भर कर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय को भेजें ।

‡3‡स्कूटर का वास्तविक मूल्य अग्रिम की धनराशि से कम हो तो बची हुई धनराशि शीघ्र वापस कर दी जाय ।

‡4‡अग्रिम पर अन्तिम रूप से 15 प्रतिशत सूद लिया जायेगा । वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग एक के पैराग्राफ 245‡डी‡ में दिये गये नियमों के अनुसार अग्रिम की अदायगी श्री राम करन के वेतन से 65 मासिक किश्तों में रु0 200/- की दर से वसूल की जायेगी । मूलधन की अदायगी के तुरन्त बाद ब्याज की किश्तों की अदायगी की जायेगी । निर्धारित समय से स्कूटर अग्रिम/ब्याज का प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर सूद में साढ़े तीन प्रतिशत की प्रतिवर्ष की छूट दी जायेगी ।

‡5‡अग्रिम का प्रयोग क्रय विक्रय‡हायर परचेज‡या किस्तों पर स्कूटर खरीदने में नहीं किया जायेगा ।

‡6‡स्कूटर खरीदने जाने के एक माह के भीतर उसका कम्प्रेहिन्सिव इन्श्योरेंश करा दिया जाये और सम्बन्धित बीमा पालिसी का नवीनीकरण कराकर उस समय तक चालू रखा जाय जब तक अग्रिम पूर्ण रूप से भुगतान न कर दिया जाय बीमे के साक्ष्य में बीमा पालिसी या अन्य प्रमाणक स्कूटर के मूल्य के प्रमाणक तथा बची हुई धनराशि यदि कोई हो तो शासन को लौटाने की तिथि की सूचना के साथ न्यायालय को भेजी जाय ।

‡7‡शासन/न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अथवा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति व दर्शाये शेष धनराशि ब्याज सहित एक मुश्त में देय होगी ।

इस अग्रिम के सम्बन्ध में व्यय को वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखा-शीर्षक-7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज-आयोजनेतर-202———— मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम -03-राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम 30 निवेश/ऋण के नामे लिखा जाना चाहिए ।

दिनांक: 10-10-2000

x [signature]
महानिबंधक

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

NOTE-
CANCELLED vide order dated ----

x [signature] 7.3.2001
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT
ALLD.

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.05 15:37:10 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad